

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० ४५

दिनांक:- 10.5.2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी मांगीलाल, देवचन्द, सविता, सुशिला, रमिला, गिर्जा पिता रतनजी, केशर बेवा रतनजी 1/4 हरिसिंह, महिपालसिंह, लक्ष्मणसिंह हंसकुवर, सूर्याकुंवर पिता भवानसिंह धुलीकंवर पत्नि भवानसिंह 1/6 एवं दलपतसिंह, सूरजसिंह पिता दर्जनसिंह नि० हथाई के खातेदार हरिसिंह ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत में दिनांक 10.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा हथाई पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 325 पर आराजी नं० 1301 कुल 04 बीघा 03 बिस्वा किता 01 योग रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री लालदेवी पत्नि रतनजी पाटीदार उम्र व्यस्क नि० हथाई ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम हथाई की जमाबंदी सम्वत् 2071-74 खसरा नं० 1399 रकबा 03 बीघा 00 बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं पत्थरगडी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा हथाई में स्थित खाता संख्या 325 पर आराजी नं० 1301 कुल 04 बीघा 03 बिस्वा किता 01 योग रकबा 04 बीघा 03 कुल किता 01 की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा हथाई मे स्थित खाता संख्या 325 पर आराजी नं० 1301 कुल 04 बीघा 03 बिस्वा किता 01 योग रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर संबंधित भू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर